

दिनांक.....

27.6.18

रास्ते का  
आवधान  
नरवर्ति हुए  
कृषा कार्य  
अनुसार  
विभाजन  
दिनांक  
को कोड रख  
नहीं है।

पगावली ग्राम कार्य कोर्ट जेएल में पेशा हुई। पगावली का  
आवधान का विभाजन। रास्ते का आवधान का नंबर 2070-73  
ग्राम जेएल के अनुसार क्रम सं. 454/3, 457, 459, 460  
461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 469, 470, 471, 472  
473, 824/772, 825/772 जिला-18 कुल रकबा 5.31 है।  
वादी गल एवं प्रतिवादी गल की संयुक्त खाते दारी की क्रम  
है तथा क्रम का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। प्रतिवादी गल  
का नतीजा कार्रवाई कर्तव्य विधिवत विभाजन क्रम पाठ पर  
आवधान पता है। धारा 53 के आवधान अनुसार वादी गल एवं  
प्रतिवादी गल अपने हिसके की क्रम का विधिवत विभाजन  
करवाने के आदिनामी है।

आदेश

वादी गल की क्रम विभाजन ही रास्ते का आवधान की कार्रवाई लि  
में क्रम क्रम सं. 454/3, 457, 459, 460, 461, 462, 463,  
464, 465, 466, 467, 469, 470, 471, 472, 473, 824/772, 825/772  
जिला 18 कुल रकबा 5.31 है। का वादी गल एवं प्रतिवादी गल के  
मध्य रास्ते का आवधान में वर्ष हिसका एवं जेएल के अनुसार  
रास्ते का आवधान करवले हुए विधिवत विभाजन क्रम पाठ के  
का आदेश दिया गया है। तदानील हार उदमपुरवाही उममपक्षों  
की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मम नकशा के  
को प्रतिशत में न्यायालय दाला में प्रस्तुत करें। इसी पर्याप्त है।  
पगावली कर्मल बुकार टोकर नमर के काम हो तथा कार्रवाई  
दृष्टर हो।

अधिकारी  
उदमपुरवाही (मुद्रा)